

अज अदालत सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी रायपुर (पाली)

क्रमांक 113 वनाम 113/22 (अ. 21)
एक्ट 53/88 मुकदमा नं. 13 सन् 2022 जीसीएमएस नम्बर 2022/29

तारीख हुकम

हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामिल में जारी हुए

01/02/22

वादी/वादीगण की ओर से वाद पत्र वकील श्री मोहन सिंह द्वारा विरुद्ध प्रतिवादी/प्रतिवादीगण पेश किया गया। अतः वादी/वादीगण मोहन सिंह का वाद विरुद्ध प्रतिवादी/प्रतिवादीगण अन्तर्गत धारा 53/88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत दर्ज रजिस्टर हो। प्रतिवादी/प्रतिवादीगण की जरिये नोटिस तलबी जारी होकर पत्रावली आयन्दा दिनांक 08/02/22 को पेश हो।

मोहन सिंह
वकील

उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर रायपुर (पाली)

08/02/22

वक्तुताय उपस्थित। आज श्रीमान् पीठारीन अधिकारी महोदय, अन्य राजकीय कार्य में व्यस्त हैं/भ्रमण पर हैं/अवकाश पर हैं। अनः पेशी इलतवा होकर पत्रावली दिनांक 10/03/22 को पेश हो।

सिद्ध
उपखण्ड अधिकारी एवं
उपखण्ड मजिस्ट्रेट, रायपुर

10/03/22

वक्तुताय उपस्थित। आज श्रीमान् पीठारीन अधिकारी महोदय, अन्य राजकीय कार्य में व्यस्त हैं/भ्रमण पर हैं/अवकाश पर हैं। अनः पेशी इलतवा होकर पत्रावली दिनांक 23/03/22 को पेश हो।

सिद्ध
उपखण्ड अधिकारी एवं
उपखण्ड मजिस्ट्रेट, रायपुर

23/03/22

पत्रावली पेश की जायेगी।
वादी एवं वादी अधिवक्ता उपस्थित।
प्रतिवादी एवं प्रतिवादी अधिवक्ता उपस्थित।
बड़ी एवं उतिकारी ने प्रार्थना पत्र जरीने बजातीना
उका वाद को विद्रोह करने हेतु पेश किया। जो तैलात पत्रावली है। बजातीना
उपस्थित वादी एवं प्रतिवादी तथा उनके अधिवक्ता को पत्रावली हुकम जमा जिसे स्वीकार किया गया। बजातीना तस्वीक किया गया है। अतः वादी का वाद

मोहन सिंह
वकील

तारीख
हुक्म

राजस्व वाद संख्या 13/2022
हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

जरिने राजमाना विद्रोह करने से
स्वार्थिग क्रिया जाता है पगवती फ्रेंच
क्याट लोक नम्बर से कर है। न

↓
S. P. O.